न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4079/2006/नागौर

1– भंवरपुरी पुत्र घासीपुरी
2– जगदीश पुत्र घासीपुरी
समस्त जाति गुसाई निवासी डिडिया खुर्द, तहसील जायल, जिला नागौर।

............अपीलार्थीगण

बनाम

1– घासीपुरी पुत्र रेवन्तपुरी
2– मदनपुरी पुत्र घासीपुरी
समस्त जाति गुसाई निवासी डिडिया खुर्द, तहसील जायल, जिला नागौर।
3– मैनेजर, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि0 शाखा रोल तहसील जायल जिला नागौर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल, जिला नागौर।

.... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री सोहन पाल सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री गौतम चंद टांक, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2

दिनांकः– 28–01–2026

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 137/2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहायक

कलक्टर, जायल के न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम डिडिया खुर्द तहसील जायल में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 477 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। पक्षकारान भंवरपुरी, जगदीशपुरी (अपीलार्थीगण) एवं मदनपुरी (प्रत्यर्थी संख्या 2) ने उक्त वादग्रस्त भूमि का आपसी पारिवारिक बंटवारा कर लिया है जिसके अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके मध्य विधिवत बंटवारा किया जावे। प्रतिवादीगण बावजूद तामील विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद पत्र साबित होना मानते हुये अपने निर्णय दिनांक 22–11–2005 द्वारा वाद पत्र को डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर न्यायालय में प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–6–2006 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी को भी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये उक्तानुसार भूमि का विभाजन करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– प्रत्यर्थी संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वाके ग्राम डिडिया खुर्द तहसील जायल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा, 226 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, 477 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 72 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 79 बीघा 4 बिस्वा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है, जिसमें सभी का बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा है। किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी ने अपने 1/4 हिस्से अर्थात खसरा नम्बर 226 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 72 रकबा 12 बीघा 6 विस्वा कुल रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान शिवदानराम व रामकिशोर को कर दिया गया, जिनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 309 व 216 भी तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा अब शेष नहीं रहा है। इसी कारण वादीगण द्वारा शेष बची पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा एवं 477 रकबा

38 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 59 बीघा 14 बिस्वा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्से की उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा कर लिया है जिसके अनुसार ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार बंटवारा की डिक्री जारी की जावे। वादीगण के उक्त वाद पत्र में दर्ज कथनों का कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसी कारण विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र साबित पाए जाने पर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2005 द्वारा वाद पत्र को डिक्री किया गया। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर उसे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 312 व 477 का 1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं बंटवारा की डिक्री भी पारित कर दी गई, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा या प्रतिदावा प्रस्तुत ही नहीं किया था, इस कारण कानूनन प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी को आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित ही नहीं किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 जाब्ता दीवानी में वर्णित कानूनी प्रावधानों के एकदम विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त की जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भूमि का बेचान किये जाने से उनका कोई हक व हिस्सा अब शेष नहीं रहने से वादीगण शेष बची पुश्तैनी भूमि कुल रकबा 59 बीघा 14 बिस्वा का वादीगण तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 के मध्य उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा अनुसार बंटवारा किये जाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सही स्वीकार किया गया था, परंतु अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के उपरोक्त तर्को से सहमत होकर यह अभिकथन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है। सभी का बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 हिस्सा है। किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी ने अपने 1/4 हिस्से भूमि का बेचान कर क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 309 व 216 भी तस्दीक कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी का इस भूमि पर कोई हक व हिस्सा अब शेष नहीं है।

इसी कारण वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्से की शेष बची पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा एवं 477 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 59 बीघा 14 बिस्वा का पारिवारिक बंटवारा कर दिया है। मुताबिक पारिवारिक बंटवारा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच बंटवारा किया जाना उचित होने के कारण विचारण न्यायालय ने पारिवारिक समझौते के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सही स्वीकार किया है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी की अपील आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत निरस्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 का भी उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा घोषित किया जाने का आदेश पारित किया है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

6– हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील मीमों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से आद्योपांत अध्ययन किया।

7– प्रकरण में अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 मदनपुरी तीनों प्रत्यर्थी संख्या 1 घासीपुरी के पुत्र हैं। दावे के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2061 लगायत 2064 अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 312 व 477 कुल रकबा 59 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रतिवादी घासीपुरी है। अपील मीमों में अपीलार्थीगण द्वारा कुल भूमि में खसरा नम्बर 72 व 266 की भूमि घासीपुरी द्वारा अन्य को बेचान करना बताया है, लेकिन उक्त तथ्य उनके द्वारा अपने दावे तथा प्रथम अपील दोनों में ही प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज दोनों मातहत न्यायालयों अथवा न्यायालय हाजा में पेश किया है। अपील मीमों में उनका वाद पत्र की कलम संख्या 2 में इस तथ्य को उल्लेखित करने का कथन सही नहीं है क्योंकि उक्त बिंदु में मात्र उनके द्वारा तीनों भाईयों के मध्य पारिवारिक बॅटवारे का ही विवरण अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा घासीपुरी की खातेदारी भूमि हेतु मात्र अपंजीकृत तथा बिना साबित बॅटवारानामा के आधार पर ही घासीपुरी की बजाय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित कर बॅटवारे की प्रारम्भिक डिक्री का आदेश पारित करना विधिविरूद्ध व गलत निर्णय था।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने घासीपुरी की अपील पर तथ्यों व रिकॉर्ड का विश्लेषण कर मुताबिक अपील इस्तदुआ घासीपुरी को भी शेष पक्षकारों के साथ 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विवादित भूमि का बॅटवारा किया जाने का आदेश दिया है, जो कि हमारे मतानुसार उचित, विधिसम्मत एवं न्यायपूर्ण आदेश है जिसमें हम हस्तक्षेप की गुंजाईश होना नहीं मानते हैं। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्तनीय है।

8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय नागौर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–6–2006 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य